13

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1473/तीन/2003 – विरूद्ध आदेश दिनांक 4–7–2003 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण क्रमांक 177/2001–02 निगरानी

1– गोविन्द सिंह पुत्र कन्हैयाराम
2– महेन्द्रसिंह पुत्र कन्हैयारा
3– महाराज सिंह पुत्र फूल सिंह
4– बाबूलाल पुत्र फूल सिंह
ग्राम फुलेदी तहसील मुंगावली
तत्का.जिला गुना वर्तमान अशोकनगर ---आवेदकगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 1 – 9 –2016 को पारित)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 177/2001–02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 4–7–2003 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण के हित में तहसीलदार मुंगावली ने प्रकरण क्रमांक 99 अ 19/1989–90 में पारित आदेश दिनांक 25–5–90 से ग्राम फुलैदी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 143/2 के रकबा 38.408 हैक्टर में से प्रत्येक को 0.500 हैक्टर भूमि व्यवस्थापित की। अनुविभागीय अधिकारी, मुंगावली व्दारा तहसीलदार के प्रकरण का परीक्षण करने पर अनियमिततायें पाने से जांच प्रतिवेदन अपर कलेक्टर अशोकनगर

को भेजा। अपर कलेक्टर अशोकनगर ने आर्डरशीट दिनांक 2-11-1995 से आवेदकगण के विरूद्ध स्वमेव निगरानी प्रकरण पंजीबद्ध कर बचाव प्रस्तुत करने हेतु सूचना देने के आदेश दिये। अपर कलेक्टर ने पक्षकारों को सुनवाई का मौका देते हुये प्रकरण कमांक 528/97-98 में पारित आदेश दिनांक 29-6-1999 से तहसीलदार मुंगावली का आदेश दिनांक 25-5-90 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी कमांक 177/2001-02 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 4-7-2003 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि ग्राम फुलैदी की भूमि सर्वे नंबर 143/2 का कुल रकबा 38.408 हैक्टर है जिसमें से आवेदकगण को प्रत्येक के मान से 0.500 हैक्टर (कुल 2 हैक्टर) भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत व्यवस्थापित की गई है। राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 में प्रावधान है कि भूमि बन्टन/व्यवस्थापन के पूर्व सार्वजनिक प्रयोज्य के उद्वेश्य से ग्राम पंचायत का प्रस्ताव/ठहराव प्राप्त किया जावेगा, किन्तु तहसीलदार ने ग्राम पंचायत से किसी प्रकार का अभिमत प्राप्त न करके नियमों की अनदेखी की है।

5/ राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 में प्रावधान है कि भूमि बन्टन/व्यवस्थापन के पूर्व ग्राम में इस्तहार जारी करके एंव ग्राम में ढोंड़ी पिटवाकर मुनादी कराते हुये ग्रामवासियों को सूचना दी जायेगी , परन्तु तहसीलदार मुंगावली ने भूमि व्यवस्थापन के पूर्व

विधिवत् इस्तहार का प्रकाशन न कराकर आवेदकगण के हित में गोपनीयता रखते हुये भूमि का व्यवस्थापन करने की त्रृटि की है।

6/ राजस्व पुस्तक परिपत्र चार-3 मे दी गई व्यवस्था अनुसार भूमि के छोटे छोटे टुकड़े जो 0.500 से अधिक के न हों - का व्यवस्थापन किया जा सकता है परन्तु जिस भूमि में से आवेदकगण को भूमि व्यस्थापित की गई है वह सर्वे नंबर 143/2 रकबा 38.408 हैक्टर है। इस प्रकार भूमि व्यवस्थापन नियम विरूद्ध किया गया है।

उक्त विवेचना अनुसार भूमि व्यस्थापन में अनियमितायें पाने के कारण अपर कलेक्टर ने पक्षकारों सुनवाई का मौका देकर प्रकरण कमांक 528/97-98 में पारित आदेश दिनांक 29-6-1999 से तहसीलदार मुंगावली के त्रृटिपूर्ण आदेश दिनांक 25-5-90 को निरस्त किया है जिसके कारण अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने निगरानी कमांक 177/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 4-7-2003 में अपर कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 177/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-7-2003 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
म0प्र0ग्वालियर